पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 474/2017

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. सुखमन्द्र सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति जटासिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री अमित छाबड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 25.10.2016

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि अप्रार्थी नें प्रार्थी को अपनी कृषि जरिये इकरारनामा दिनांक 15.06.2016 के चक 10 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/17 मुरब्बा नम्बर 14, 49, 54 की कुल 9.489 हैक्टर नहरी मय खाला में से 2.107 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा अर्थात 0.702,3 हैक्टर को हैक्टर को विक्रय कर जरिये सम्मन की अधिकांश राशि प्राप्त कर रूबरू गवाहान सुखचरण सिंह, कुलदीपसिंह प्रार्थी के हक में इकरारनामा तहरीर तकमील करवाकर नोटेरी से तस्दीक करवा दिया जिसकी शर्तो के अनुसार बकाया राशि दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त कर रजिस्ट्री बैयनामा करवानें का तय किया गया, इकरारनामा की नकल शामिल है, असल वास्ते मुलहायजा पेश है।

अप्रार्थी को मजीद रूपया की आवश्यक्ता होनें से उसनें दिनांक 13.12.2016 को मजीद राशि प्राप्त कर इकरारनामा की मियाद रजिस्ट्री दिनांक 15.12.2016 से बढ़ाकर 15.06.2017 तय की गई पुश्त इकरारनामा पर दर्ज करवाकर अपनें हस्ताक्षर कर अप्रार्थी नें नोटेरी से तस्दीक करवा दिया, पुश्त की नकल शामिल है, असल वास्ते मुलहायजा पेश है।

अप्रार्थी की मजीद रूपया की आवश्यक्ता होनें से तथा उपरोक्त रकबा की कीमत प्राप्त कर ली होनें से अप्रार्थी नें अपनी कृषि भूमि चक 8 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/26, मुरब्बा नम्बर 5 का 2.113 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 24 काा 0.253 हैक्टर कुल 2.365 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 24 का 1 बीघा का मजीद सौदा तय कर व साई की राशि प्राप्त कर इकरारनामा दिनांक 15.06.2016 के साथ नया पृष्ठ लगाकर अपनी स्वेच्छा से तहरीर करवाकर जर्रे सम्मन की राशि में से 84,000 रूपया प्राप्त कर कुल राशि 14,71,626 रूपया प्राप्त होनें का स्वीकार कर तहरीर लिखवाई तथा मियाद दिनांक 15.06.2017 से बढ़ाकर 15.09.2017 तय की गई उपरोक्त तहरीर को अनिल कालड़ा नोटेरी की रजिस्टर की क्रम संख्या 842 पर दिनांक 12.06.2017 को दर्ज करवाया गया, असल तहरीर मिस्प्लेस हो गई है, अतः नोटेरी के रजिस्टर जिसमें अप्रार्थी के हस्ताक्षर मौजूद है, की नकल पेश है, जमाबन्दी की नकल पेश है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थी मुताबिक शरायत इकरारनामा बकाया राशि अदा कर हर समय बैयनामा करवानें को तत्पर तैयार व इच्छुक रहा है तथा आज भी तैयार है मगर अप्रार्थी के मन में गलत लालच आया हुआ है। तथा उपरोक्त समस्त दोनो चकों के भूमि अन्य किसी को अधिक राशि लेकर आज ही मुन्तकिल करने के प्रयास में है क्योंकि रजिस्ट्री बैयनामा करवानें का पाबन्द व जिम्मेवार है मगर जानबुझकर अन्य को विक्रय कर रहा है। यदि अप्रार्थी इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा ना होनें वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होनें से अप्रार्थी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसनें जर्रे सम्मन की अधिकांश प्राप्त कर उपयोग कर लिया है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर करके अर्ज है कि तौ फेसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की सादिर की जावे कि अप्रार्थी चक 10 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/17 मुरब्बा नम्बर 14, 49, 54 की 9.499 हैक्टर में से 2.107 हैक्टर का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.702,3 हैक्टर नहरी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है तथा चक 8 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/26 मुरब्बा नम्बर 5,24 की कुल 2.365 हैक्टर के 1/3 हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 24 का 1 बीघा किसी को रहन बैय मुन्तकिल करनें से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि चक 10 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/17 मुरब्बा नम्बर 14, 49, 54 की 9.499 हैक्टर में से 2.107 हैक्टर का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.702,3 हैक्टर नहरी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है तथा चक 8 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/26 मुरब्बा नम्बर 5,24 की कुल 2.365 हैक्टर के 1/3 हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 24 का 1 बीघा किसी को रहन बैय मुन्तकिल करनें से बाज व ममनु रहे, तथा आगामी पेशी तक रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं कर बहस की गई उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी नें अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक ताफैसला स्थाई (Confirm) किये जानें हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा कोई इकरारनामा नहीं किया गया है और ना ही प्रार्थी को भूमि बेचान करनें हेतु कोई लिखा पढ़ी की गई है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इकरारनामा के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है जो सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होनें के कारण पोषणीय नहीं होनें से पूर्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.09.2017 को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 25.10.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्